रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234733
CG-DL-E-31032022-234733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
No. 232] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. 235(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 128 की उप-धारा (1) और (3), धारा 129 की उप-धारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उप-धारा (4), धारा 136 की उप-धारा (1), धारा 137 और धारा 138, धारा 469 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में,-

(i) नियम 3 के उप-नियम (1) के परंतुक में, “01 अप्रैल, 2022” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “01 अप्रैल, 2023” अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) नियम 12 के उप-नियम (1ख) के परंतुक में, “31 मार्च, 2022” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मई, 2022” अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग-III]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.239(अ) के *तहत* भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तदनुपरांत, तारीख 14 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.723(अ), तारीख 16 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ), तारीख 04 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ), तारीख 27 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742(अ), तारीख 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1371(अ), तारीख 27 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 191(अ), तारीख 31 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 725(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 803(अ), तारीख 30 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60(अ), तारीख 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205(अ), तारीख 01 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247(अ) तथा तारीख 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 107(अ) के *तहत* संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014,-

(i) in the proviso to sub-rule (1) of rule 3, for the figures, letters and words "1st day of April, 2022", the figures, letters and words "1st day of April, 2023" shall be substituted;

(ii) in the proviso to sub-rule (1B) of rule 12, for the figures, letters and word "31st March, 2022", the figures, letters and word "31st May, 2022" shall be substituted.

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended *vide* notifications number G.S.R. 723(E), dated the 14th October, 2014, G.S.R. 37(E), dated the 16th January, 2015, G.S.R. 680(E), dated the 4th September, 2015, G.S.R. 742(E), dated the 27th July, 2016, G.S.R. 1371(E), dated the 7th November, 2017, G.S.R. 191(E), dated the 27th February, 2018, G.S.R. 725(E), dated the 31st July, 2018, G.S.R. 803 (E), dated the 22nd October, 2019, G.S.R. 60(E), dated the 30th January, 2020, G.S.R. 205(E), dated the 24th March, 2021, G.S.R. 247(E), dated the 1st April, 2021 and G.S.R. 107(E), dated the 11th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.31 23:27:49 +05'30'